अति आवश्यक

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सी –स्कीम, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर–17

क्रमांक : मॉ. प्रकोष्ठ/डीएलबी/2018/ 1210-1400 दिनांक : 06-03-2018

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः–राजस्थान सम्पर्क/सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।

प्रसंगः–विभागीय परिपत्र कमांक मॉ. प्रकोष्ठ/डीएलबी/2017/19608 से 19849 दिनांक 16.11.2017 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्र के कम में सीएम हेल्पलाइन 181 प्रकरण निस्तारण विशेष अभियान समस्त नगरीय निकायों में दिनांक 17.11.2017 से 30.11.2017 तक (कार्यदिवस में) 10 दिवसीय अभियान चलाया गया था। उक्त अभियान के पश्चात् प्रकरणों की स्थिति देखने पर पाया गया कि आपके लेवल पर काफी तादाद में प्रकरण लम्बित चल रहे है। आम जन की शिकायतों का निराकरण समय पर नहीं हो पा रहा है।

आपकी निकाय में लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक के लम्बित प्रकरणों में लेवल 1 के प्रकरण आप स्वयं अपने स्तर पर ,लेवल 2 के प्रकरण सम्बन्धित क्षैत्रीय कार्यालय द्वारा एवं लेवल 3 व 4 के प्रकरणों का निस्तारण निदेशालय स्तर पर होना है। प्रकरणों के जवाब आप द्वारा टिप्पणी के रूप में करावें । अतः आप अपने निकाय के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण तीन दिवस में आवश्यक रूप से करा लेवें। प्रकरण लम्बित रहने पर आपके विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वतः ही प्रारम्भ कर दी जावेगी जिसकी जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

कृपया इसे सर्वोच्य प्राथमिकता देवें।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : मॉ. प्रकोष्ठ/डीएलबी/2017/ 1401-42 दिनांक : 06-03-2018

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
2. क्षेत्रीय उप निदेशक,स्थानीय निकाय विभाग,समस्त राजस्थान
3. नोडल अधिकारी, सीएम हैल्प लाईन, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (प्रशासन)